न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील संख्या 23/20 सन् 2020

GCMS NO-2020/000170

बउनवानी:—1. प्रभूदयाल पुत्र मयराम उर्फ मयाराम जाति मीना नि0 पढाना तह0 सवाईमाधोपुर

बनाम

1. किशोरी पुत्र मयराम उर्फ मयाराम मीना निवासी पढाना तह0 सवाईमाधोपुर
2. नरसी मीना पुत्र मयराम उर्फ मयाराम मीना नि0 पढाना तहसील सवाईमाधोपुर
3. मौसम पुत्री मयराम उर्फ मयाराम मीना पत्नि रामपाल मीना नि0 पढाना तह0 व जिला सवाईमाधोपुर हाल निवासी 2/224 स्काउट हाउसिंग बोर्ड,स0मा0
4. दिलखुश पुत्र स्व0 केलाश मीना निवासी पढाना तहसील सवाईमाधोपुर
5. लवकुश पुत्र स्व0 केलाश मीना निवासी पढाना तहसील सवाईमाधोपुर
6. सीमा पुत्री स्व0 केलाश मीना निवासी पढाना तहसील सवाईमाधोपुर
7. श्रीमति रूमाली पत्नि स्व0 केलाश मीना निवासी पढाना तहसील सवाईमाधोपुर
8. सरकार जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्ध तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 29 दिनांक 1.6.1992 वाके ग्राम पढाना अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः— 1. श्री भवंर सिंह जादौन वकील अपीलान्टगण

2. प्रेम सिंह हाडा वकील रेस्पो0

—: निर्णय :— दिनांक 25..2.2026

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 29 दिनांक 16.01.1992 वाके ग्राम पढाना तहसील सवाईमाधोपुर के विरूद्व इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्व होने से खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात लिखित बहस वकील अपीलान्ट का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलान्ट ने लिखित बहस में अंकित किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्ट का सजरा अपीलान्ट का दादा नारायण मीना के दो पुत्र क्रमशः मयराम उर्फ मयाराम एवं आशाराम थे तथा मयराम उर्फ मायाराम के छः पुत्र क्रमश घनश्याम, प्रसादी, प्रभूदयाल, किशोरी, केलाश,नरसी एवं एक पुत्री मौसम एवं पत्नि कैसर देवी थी। केलाश फोत गया है इसलिए उसके विधिक वारिसान दो पुत्र क्रमश दिलखुश एवं लवकुश एवं एक पुत्री सीमा एवं पत्नि रूमाली है। अपीलान्ट का भाई घनश्याम स्व0 रामचन्द्र मीना के गोद चला गया तथा प्रसादी लाओलाद फोत हो गया तथा अपील की माता केसर देवी भी फोत हो गयी है। अपीलान्ट के.सी.सी. की पत्रावली तैयार करवाने के लिए जमाबन्दी की नकल लेने पर पता चला कि अपीलान्ट के पिता की विरासत का नामा0 संख्या 29 दिनांक 16.1.1992 को गलत तरीके से खोला गया है जिसमे अपीलान्ट एवं उसकी बहिन रेस्पो0 संख्या—3 मौसम के नाम नही खोलकर केवल अपीलान्ट के भाई प्रसाद उर्फ प्रसादी,किशोरी, कैलाश,नरसी एवं प्रार्थी की मॉ केसर देवी के नाम खोला गया है जो विधि विरूद्व है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य यथा ग्राम पंचायत द्वारा मयराम के वारिसान का सजरास खानदान/प्रमाण पत्र दिनांक 13.11.2020 के अनुसार भी मयराम के छः पुत्र एवं

.....(1).....

(कानाराम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

एक पुत्री रेस्पो.संख्या 3 है । इसके अतिरिक्त अपीलान्ट मयराम उर्फ मायाराम का पुत्र होने से संबंधित साक्ष्य दस्तावेज यथा बैंक पासबुक, राशनकार्ड की प्रति, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, जॉब कार्ड, इत्यादि पेश कर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलान्ट के पिता मृतक मयराम उर्फ मायाराम पुत्र नारायण की विरासत मे अपीलान्ट प्रभूदयाल एवं रेस्पो0 संख्या 3 मौसम का दर्ज किये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

वकील रेस्पो0 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है क्योकि आदेश जैर अपील में मृतक मयराम की विरासत मे रेस्पो. संख्या 3 मौसम का नाम इसलिए नही दर्ज किया गया है क्योकि मीना जाति की महिला को पिता की विरासत मे कानूनन कोई अधिकार प्राप्त नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखने बाबत वकील रेस्पो0 द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का अवलोकन एवं वकील रेस्पो. द्वारा किये गये कथन को सुनने एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है, कि अपीलान्ट के अनुसार अपीलान्ट मृतक मयराम उर्फ मायाराम का पुत्र है तथा रेस्पो0 संख्या 3 पुत्री है किन्तु मयराम उर्फ मायाराम की विरासत का नामा0 दर्ज फैसल करते समय अपीलान्ट एवं रेस्पो0 संख्या 3 का नाम दर्ज होने से रह गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य यथा ग्राम पंचायत द्वारा मयराम के वारिसान का सजरा खानदान/प्रमाण पत्र दिनांक 13.11.2020 के अनुसार भी मयराम के छः पुत्र एवं एक पुत्री रेस्पो.संख्या 3 है। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट मयराम उर्फ मायाराम का पुत्र होने से संबंधित साक्ष्य दस्तावेज यथा बैंक पासबुक, राशनकार्ड की प्रति, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, जॉब कार्ड, इत्यादि से अपीलान्ट मृतक मयराम का पुत्र होने की पुष्टि होती है। ऐसी स्थिति में मृतक मयराम उर्फ मायाराम की विरासत का नामा0 अपीलान्ट के नाम भी खोला जाना चाहिए था जो नही खोला गया है। अतः आदेश जैर अपील मे अपीलान्ट एवं रेस्पो. संख्या 3 का नाम दर्ज नही होने से आदेश जैर अपील विधिसम्मत नही है। इसलिए तहसीलदार सवाईमाधोपुर से मृतक मयराम उर्फ मायाराम के वारिसान की जॉच करवाया जाना एवं अपीलान्ट को सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना उचित समझते है ।

अतःउपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार सवाईमाधोपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि मृतक मयराम उर्फ मायाराम के वारिसान की जॉच कर अपीलान्ट एवं रेस्पो. संख्या 3 को सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। पत्राावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 25..2.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

.....(2).....

Scanned with OKEN Scanner